भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2516

सोमवार, 18 दिसम्बर 2023/ 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

2516. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के.सुरेश:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से देश के आकांक्षी जिलों के कामगारों के कल्याण के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निजी क्षेत्र सहित अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने का उपबंध है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं और इस प्रकार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं।

जारी...2/-

(ख) से (घ): केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से संबंधित उपबंधों सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में सामान्यतः केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से और राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में नियोक्ताओं को मजदूरी के अंतर का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। राज्य क्षेत्राधिकार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) और (च): सरकार असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 कार्यान्वित कर रही है, ताकि (i) जीवन एवं निःशक्तता कवर; (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ; (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने वाला अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर समुचित कल्याण योजनाएं बनाकर असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपये और आंशिक स्थायी निःशक्तता

जारी..3/-

के लिए 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर असंगठित कामगार को 3000/- रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का 50% देय होता और केंद्र सरकार द्वारा उतना ही अंशदान का भुगतान किया जाता है।

* *****

अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2516 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, अभियोजनों और दोषसिद्धियों का ब्यौरा

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधार की गई अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021-22	5022	35983	8726	492	167
2022-23	5636	37012	10294	1019	281
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	3064	14946	6964	393	155

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा के मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज किए गए दावे			
	दर्ज	निर्णित	अधिनिर्णित (रुपये)	लाभान्वित कामगारों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021-22	5297	2102	17,77,22,490/-	7487
2022-23	3044	2981	32,80,07,597/-	14757
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	2137	1380	27,08,75,457.6/-	5317

****